

349

448

न्यायालय श्री मान सद्वय राजस्व मंडल सिंह कोर्ट रीवा मणि



R - 4394-11113

RS. 20/-

- अधिकतमीति
हेवारी द्वारा प्राप्त
रिवा, दिन 4-9-13
- 1- दग्धम सि तनय दुवरी आयु 60 साल, पेशा मजदूरी,
2- रामसुमेर तनय दुवरी, आयु 55 साल,
3- रघुराई तनय दुवरी आयु 52 साल,
4- मागीलाल तनय स्व0 हिन्छु साकेत आयु 47 साल,
5- छोटानी तनय हिन्छु साकेत आयु 45 साल,
6- ललू तनय हिन्छु साकेत आयु 43 साल,
7- दलू साकेत तनय हिन्छु साकेत आयु 42 साल,
8- मलू साकेत तनय स्व0 हिन्छु साकेत आयु 41 साल,
9- संतोष साकेत तनय सुखई साकेत आयु 26 साल,
10- सोनू साकेत तनय स्व0 सुखई साकेत आयु 23 साल,
11- रामरती साकेत सश्य वेवासुखई साकेत आयु 52 साल,
निवासी सभी ग्राम अमहा, तहसील हनुमना, जिला - रीवा मणि

----- निगरानीकर्ता गण

बनाम

- ✓ 1- परसुराम साकेत तनय विसुन साकेत आयु वर्ष, निरो लोढ़ी,
2- कृष्ण कुमार रामपिता बाकेलाल निवासी लोढ़ी, तह0 हनुमना, जिला रीवा
मणि

----- गैर निगरानीकर्ता गण

निगरानी विषय न्यायालय तहसीलदार तह0

हनुमना, के द्वारा प्रकरण क्रमांक 52ए/2-11-

-13 के आदेश दिनांक 10-6-13 मे।

*(Signature)**(Signature)*

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

प्रकरण क्रमांक निगो / 4394-III / 2013

जिला—रीवा

दसमति वगैरः / परसुराम साकेत

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री त्रिगुणसेन तिवारी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील हनुमना के प्रकरण क्रमांक 52/अ-12/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 10.06.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;">M</p> <p style="text-align: right;">  (बी.एम.शर्मा), सदस्य </p>	

